*वित्तीय समावेशन और शहरी सहकारी बैंक**

आनंद सिन्हा

श्री शशिकांत बुगडे, अध्यक्ष, श्री कृष्णकुमार गोयल, उपाध्यक्ष, डॉ. मुकंद अभ्यंकर और कॉस्मोस बैंक के अन्य निदेशक, श्री सुधीर ठाकरे, सचिव, ग्रामीण विकास, महाराष्ट्र सरकार, इस अवसर पर उपस्थित सभी प्रगतिशील महिला उद्यमी तथा देवियो और सज्जनो। कॉस्मोस बैंक के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर आप सभी के बीच इस शाम उपस्थित होने पर मैं प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए और मुझे इसका एक हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए मैं कॉस्मोस बैंक को धन्यवाद देता हूँ, इस कार्यक्रम में आज के सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जानी है।

2. कॉस्मोस बैंक इस देश का एक सबसे पुराना बैंक है और इसने हाल में अपनी सेवा के 105 वर्ष पूरे कर लिए हैं। छोटे-छोटे ग्राहकों की सेवा करने के अपने पारंपरिक मूल्यों को धारण करते हुए यह बैंक समय के साथ भी आगे बढ़ा है और इसने अपनी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नयी प्रौद्योगिकी तथा उन्नत बैंकिंग उपकरणों को अपनाकर भविष्य के लिए तैयारी की है।

3. आज के वित्तीय समावेशन के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत करके बैंक ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। बैंक द्वारा शुरू किये जा रहे वित्तीय समावेशन के आज के कार्यक्रम में महिला उद्यमियों की भारी सहभागिता एक शुभ संकेत है। दान की तरह मितव्यता और अनुशासन जैसे गुण घर से ही शुरू होते हैं तथा इससे बेहतर बात क्या हो सकती है कि मितव्यता की शिक्षा देने के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में महिलाओं को शामिल किया जाए जिन्हें अभी तक इससे बाहर रखा गया है। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि बैंक महिलाओं की सहायता न केवल खाते खोलकर और ऋण देकर कर रहे हैं बल्कि उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य भी कर रहे हैं, वे उन्हें अपने खाते तैयार करने की शिक्षा दे रहे हैं और उन्हें अपने उत्पादन आदि को बेचने में मदद कर रहे हैं। मैं आश्वास्त हूँ कि कॉस्मोस बैंक का यह प्रयास बहुत अधिक सफल होगा और वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में एक नया पृष्ठ जोड़ेगा।

4. आज के सम्मेलन में मुझे बोलने के लिए एक व्यापक क्षेत्र मिला है। शहरी सहकारी बैंक और वित्तीय समावेशन दोनों ही आपस में दो रुचिकर विषय हैं। और आगे, इन दोनों का समावेशन एक और अधिक रुचिकर विषय होगा। आज के अपने व्याख्यान में मैं वित्तीय समावेशन कार्यक्रम से संबंधित मुद्दों और वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को आगे ले जाने में सहकारी बैंकों की भूमिका पर चर्चा करूंगा।

सहकारी बैंकिंग

5. सहकारी आंदोलन में ऐसे व्यक्तियों के स्वायत्त संगठनों को शामिल किया जाता है जो संयुक्त रूप से स्वाधिकृत तथा प्रजातांत्रिक रूप से नियंत्रित एक उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक रूप से एकत्र हुए हैं। कारोबारी उद्यम के रूप में सहकारी बैंक अन्य फर्मों से भिन्न होते हैं, इस तथ्य को देखते हुए उनका स्वामित्व और नियंत्रण सीधे तौर पर सदस्यों के हाथों में होता है। सहकारी ढ़ांचा आपसी मदद, प्रजातांत्रिक निर्णय तथा खुली सदस्यता के सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव श्री बान की मून के कथनानुसार, *सहकारी बैंक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक अनुस्मारक हैं कि इससे आर्थिक व्यवहार्यता और सामाजिक उत्तरदायित्व दोनों को निभाना संभव है।* संयोगवश, वर्तमान वर्ष 2012 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहकारिता के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, प्रजातांत्रिक नियंत्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता, प्रशिक्षण और समुदाय की चिंता जैसे कुछ बड़े-बड़े मूल्यों के साथ सहकारी बैंक जुड़े हुए हैं।

6. भारत में सहकारिता आन्दोलन का एक लंबा इतिहास रहा है। ब्रिटेन में सहकारिता आन्दोलन और जर्मनी में सहकारी ऋण आन्दोलन संबंधी अनुभवों की सफलता से प्रेरणा पाकर उन्नीसवीं शदी के अंत में भारत में सहकारी समितियां बनीं। शुरुआत से,शहरी

---

* 6 जनवरी 2011 को पुणे में कॉस्मोस बैंक के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री आनंद सिन्हा द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का संपादित अवतरण। नंदकुमार एस संकर और विपिन नायर द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री के लिये हम आभारी हैं।

सहकारी बैंक किफायती लागत पर, विशेष रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र में, संस्थागत ऋण उपलब्ध कराकर देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 1 मार्च 1966 से बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 को सहकारी समितियों तक बढ़ाने से सहकारी बैंक रिज़र्व बैंक के विनियमन और पर्यवेक्षण के अंतर्गत आ गये हैं।इसी प्रकार,जमा बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा सहकारी बैंकों को जमा बीमा कवर भी प्रदान किया गया है। जबकि कालांतर में शहरी सहकारी बैंकों के कारोबार में क्रमिक वृद्धि हुई है, जिससे 1966 से 2011 की अवधि के दौरान जमाराशियां ₹1.67 बिलियन से बढ़कर ₹2,120.31 बिलियन और अग्रिम ₹1.53 बिलियन से बढ़कर ₹1,363.41 बिलियन हो गये हैं।कुल बैंकिंग कारोबार में शहरी सहकारी बैंकों की वृद्धि बैंकिंग क्षेत्र की समग्र वृद्धि के अनुरूप नहीं रही है। उनकी बड़ी संख्या के बावजूद, शहरी सहकारी बैंकों का कुल बैंकिंग क्षेत्र में 3.5 प्रतिशत (31 मार्च 2010 को) का एक बहुत छोटा बाजार हिस्सा है।

7. शहरी सहकारी बैंकों की संक्षिप्त में चर्चा करने के बाद, मैं अब आपका ध्यान आज के अन्य प्रमुख विषय, वित्तीय समावेशन की ओर खींचना चाहूँगा।

वित्तीय समावेशन

8. वित्तीय समावेशन सामान्य रूप से समाज के सभी वर्गों की और विशेष रूप से कमजोर वर्ग तथा कम आय समूह जैसे कमजोर समूहों की, विनियमित प्रमुख संस्थाओं द्वारा किफायती लागत पर और निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से जरूरी उपयुक्त वित्तीय उत्पाद और सेवाओं तक,पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है।

समावेशी वृद्धि के लिये वित्तीय समावेशन

9. परम्परागत रूप से, हमने पाया है कि बैंकों में इस गलत धारणा के कारण गरीब लोगों का स्वागत नहीं किया जाता है कि वे बैंक के साथ व्यवहार करने लायक नहीं हैं और उनको सेवाएं प्रदान करने में कोई कारोबारी लाभ नहीं होता है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं अब तक इन लोगों को निम्न बहाने बनाकर वित्तीय रूप से वंचित करती रही हैं;

- उनके पास बिल्कुल नहीं या बहुत कम संपत्ति होती है,
- उनके पास संपार्श्विक के रूप में रखने के लिये कुछ भी नहीं होता है,
- उनके पास कारोबार का कोई अनुभव नहीं होता है,
- उनको वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है,
- उनके बारे में ऋण संबंधी कोई जानकारी नहीं होती है,
- वे अशिक्षा अथवा कम पढ़े-लिखे होने के कारण बैंकिंग की बारीकियों की समझ नहीं रखते हैं।

10. इस गलत धारणा से धीरे-धीरे इस विश्वास को बल मिल रहा है कि समग्र वृद्धि और विकास के लिये समावेशी वृद्धि आवश्यक है और वंचितों को वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत लाने की आवश्यकता है।इस विश्वास को देखते हुए कि *ऋण एक मूल मानवीय अधिकार है* जैसाकि नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस ने कहा है कि गरीब अपनी निर्धनता को स्वरोजगार और आय पैदा करके दूर कर सकते हैं,हमें तात्कालिक आधार पर एक ऐसी वित्तीय प्रणाली विकसित करनी होगी जो गरीबों की आवश्यकताओं को पूरी कर सके।वहनीय वित्तीय सेवाओं -विशेष रूप से ऋण और बीमा- तक पहुंच जीविकोपार्जन के अवसरों को बढ़ाती है और गरीबों को अपने जीवन का मालिक बनाने की सामर्थ्य प्रदान करती है। ऐसे सशक्तीकरण से अर्थव्यवस्था की सामाजिक वृद्धि को निरंतर आधार पर सहायता मिलती है। इन लाभों के अलावा, वित्तीय समावेशन औपचारिक पहचान प्रदान करता है, भुगतान प्रणाली और जमा बीमा जैसे सुरक्षा नेट तक पहुँच प्रदान करता है।

11. देश में समावेशी वृद्धि प्राप्त करने के लिए वित्तीय समावेशन महत्वपूर्ण है।इसको प्राप्त करने के लिए, हमें बुनियादी स्तर पर लोगों तक पहुँचने के लिए वित्तीय समावेशन प्रयासों के दायरे को बढ़ाना होगा। हमें इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक दोहरी रणनीति अपनानी होगी।

क) बैंकिंग समुदाय द्वारा स्वैच्छिक प्रयास करके विभिन्न रणनीतियां विकसित कर बैंकिंग क्षेत्र के दायरे के अंतर्गत बैंकरहित लोगों को लाना,और अधिक महत्त्वपूर्ण;

ख) लोगों द्वारा स्वयं मांग उत्पन्न करना ताकि बैंक, वित्तीय संस्थाएं और अन्य सेवा प्रदाता प्रतियोगी तथा वहनीय दर पर बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकें।

12. वित्तीय समावेशन प्रयास लोगों को न केवल वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में मदद करेंगे बल्कि वित्तीय बाजार सहभागियों को उत्तम कारोबारी अवसर भी प्रदान करेंगे।सामान्य धारणा के विपरीत, वित्तीय समावेशन संभावित रूप से एक ऐसी कारोबारी संरचना है जो विशाल अप्रयुक्त बाजार के कारण है और जिसको यह बैंकिंग

सेवाओं के अंतर्गत लाना चाहता है। वित्तीय समावेशन को प्रथमदृष्टया 'जमीनी स्तर पर पैसा' के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है और कारोबारी मॉडल ऐसे बनाए जाने चाहिए जो आरंभिक स्तर पर कम से कम आत्म-समर्थनकारी हों तथा दीर्घकाल में लाभकारी हों।यह ध्यान में रखना महत्त्वपूर्ण है कि प्रदान की गई सेवा वहनीय लागत पर होनी चाहिए।

स्वयं सहायता समूह

13. स्वयं सहायता समूह लिंकेज मॉडल सहकारी आन्दोलन से प्रेरणा ग्रहण करता है और वित्तीय संस्थाओं से रियायती पुनर्वित्त लेने की पारंपरिक निर्भरता से दूर रहने के गहन प्रयास करता है तथा ग्रामीण लोगों को आत्म-समर्थनकारी और आत्म-निर्भर बनाने की परिकल्पना करता है। सुपुर्दगी व्यवस्था वास्तव में अनौपचारिक प्रणाली की निकटता, अनुक्रियाशीलता, लोच तथा औपचारिक व्यवस्था के वित्तीय और बुनियादी बैक-अप का एक मिश्रण है।स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में एक बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है।स्वयं सहायता समूह लोगों के वे समूह होते हैं जो एक साथ इकट्ठे होते हैं तथा अपनी बचतों से पैसा एकत्र करते हैं और आपस में पैसा उधार देते हैं। स्वयं सहायता समूह अपने के सदस्यों की गारंटी पर ऋण देते हैं। समूह के अंतर्गत पियर दबाव वसूली सुधारने में मदद करता है।

14. भारत में 1992 में शुरू स्वयं सहायता समूह लिंकेज कार्यक्रम बहुत तेजी से बढ़ा है। यह कार्यक्रम 1992 में 500 स्वयं सहायता समूहों के लक्ष्य के साथ शुरू हुआ, अब इनके पास 7.46 मिलियन स्वयं सहायता समूह हैं, वे 97 मिलियन ग्रामीण परिवारों को कवर करते हैं। 7.46 मिलियन स्वयं सहायता समूहों में से, 4.78 मिलियन स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से ऋण की प्रत्यक्ष सुविधा उपलब्ध है, इनके पास मार्च 2011 के अंत में ₹312.21 बिलियन की ऋण राशि बकाया है। इस कार्यक्रम की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि अधिकांश (81.7 प्रतिशत) स्वयं सहायता समूह पूरी तरह से महिला समूह हैं। 2010-11 में कुल बचत में महिला स्वयं सहायता समूहों का 75.5 प्रतिशत हिस्सा रहा और बकाया कुल ऋण में स्वयं सहायता समूहों का 83.7 प्रतिशत हिस्सा रहा।

15. स्वयं सहायता समूह ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं के लिये लाभकारी संगठन साबित हुए हैं जिनकी वसूली तथा कुल लेनदेन 95 प्रतिशत हैं (एक स्वयं सहायता समूह से तात्पर्य 10 से 20 व्यक्तियों की सदस्य संख्या है)। अधिकांश कृषि और ग्रामीण ग्राहकों की तुलना में स्वयं सहायता समूह अपने बचत खातों का नियमित आधार पर परिचालन करते हैं और अपने खातों में जमा शेष रखते हैं।यह एक नए तरह का मॉडल है जिसके साथ कई चुनौतियां हैं और बहुत सारे अवसर हैं। इन सबसे ऊपर, स्वयं सहायता समूहों ने गरीब महिलाओं को पहचान दी है,उन्हें सूचनाओं तक पहुँच प्रदान की है और उनको मोल-तोल करने की ताकत दी है।

16. गरीब महिलाओं को हमेशा गरीब होने और महिला होने का दुहरा बोझ ढ़ोना पड़ता है।स्वयं सहायता समूह मॉडल ने सदस्य उधारकर्ताओं विशेष रूप से महिलाओं के लिए नई संभावनाएं खोली हैं। आपसे में बातचीत करने से सदस्यों को परिवार की अंदरूनी और

चार्ट 1: एसएचजी में वृद्धि - सभी महिला एसएचजी का हिस्सा

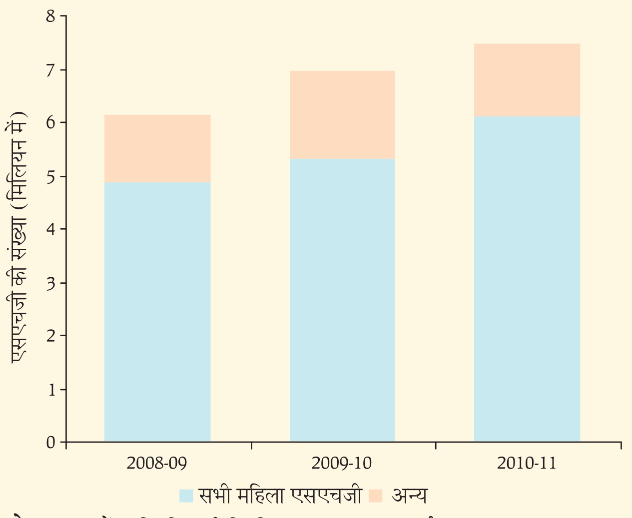

स्रोत: भारत में व्यष्टि वित्त की स्थिति - 2010-11: नाबार्ड

चार्ट 2: एसएचजी के बकाया ऋण

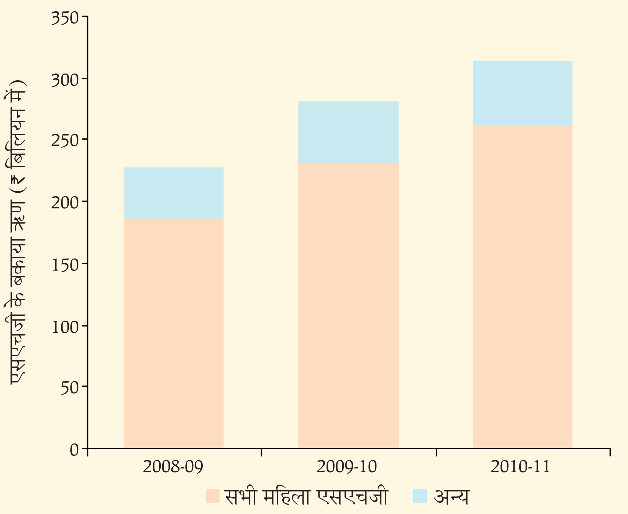

स्रोत: भारत में व्यष्टि वित्त की स्थिति - 2010-11: नाबार्ड

बाहरी गतिविधियों को समझने की दृष्टि मिलती है जिससे महिलाओं में पारिवारिक निर्णय लेने में और अधिक जिम्मेदारी आती है। इस लिंकेज के माध्यम से आर्थिक उन्नति सदस्य-उधारकर्ताओं के जीवन को एक नया प्रयोजन,दिशा तथा नया अर्थ प्रदान करती है।

17. यह भलीभांति जानी हुई बात है कि हर व्यक्ति,चाहे वह कितना ही कमजोर क्यों न हो, बचत करने की क्षमता रखता है।स्वयं सहायता समूह इस क्षमता का दोहन करने में प्रभावी साधन साबित हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि स्वयं सहायता समूह मॉडल को सामान्य रूप से सदस्यों से अनिवार्य बचत की जरूरत होती है।स्वयं सहायता समूह ने गरीबों के बीच बचत की आदत डाली है और यह पाया गया है कि स्वयं सहायता समूह की बचत राशियां और उनकी एकत्रित राशियां वर्ष दर वर्ष बड़ी तेजी से बढ़ रही है।

18. बेहतर परिणाम पाने के लिए, अति लघु ऋण देने वाले बैंकों को उद्यम निर्माण विन्यास से उद्यम रूपांतरण विन्यास की ओर जाने का प्रयास करना होगा, यह प्रयास मौजूदा लघु उद्यमों की मदद करने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने के रूप में होगा जिससे वे उत्पादन और विपणन में संख्यात्मक तथा गुणात्मक वृद्धि कर सकें।

19. इस मॉडल का सबसे महत्त्वपूर्ण लाभ सशक्तीकरण प्रभाव है।गरीबी के मोटे-मोटे संकेतक जैसे दुर्बलता,भौतिक और सामाजिक अलगाव,शक्तिहीनता, असुरक्षा तथा आत्म सम्मान का अभाव गरीबों की प्रगति में हमेशा बड़े रोड़ा रहे हैं। सदस्य उधारकर्ताओं से आमने-सामने बातचीत से पता चला कि उधारकर्ताओं के आत्म सम्मान पर स्वयं सहायता समूह की अंतर-क्रियाओं का असाधारण प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार के परिवर्तनों का कई अन्य महत्त्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक बदलावों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।वास्तव में,आज जिस साहस के साथ कुछ महिलाएं मंच पर बोलती हैं वह स्वयं सहायता समूह द्वारा लाए गए सशक्तीकरण का एक उदाहरण है।

20. अब मैं आज की अपनी चर्चा के मुख्य भाग पर आना चाहूँगा- वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में बैंकों विशेष रूप से शहरी सहकारी बैंकों की भूमिका,रिज़र्व बैंक द्वारा निभाई गई सुसाध्यकर्ता की भूमिका तथा भावी मार्ग।

21. यह अच्छी तरह मान लिया गया है कि आपूर्ति और मांग पक्ष के ऐसे कई कारक हैं जो समावेशी वृद्धि को रोकते हैं जैसे वित्तीय उत्पादों के बारे में अनभिज्ञता, अवहनीय उत्पाद,उच्च लेन-देन लागत और वे उत्पाद जो सुगम तथा लोचपूर्ण नहीं हैं। मांग पक्ष के कारकों पर ध्यान देना उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना आपूर्ति पक्ष के कारकों पर ध्यान देना। बैंक की और अधिक नई शाखाएं खोलकर, मनपसंद उत्पादों आदि को प्रस्तुत कर आपूर्ति पक्ष के कारकों पर ध्यान दिया जा सकता है जबकि वित्तीय साक्षरता के प्रयास से लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल होने की आवश्यकता और लाभों के बारे में जागरूक कर मांग पक्ष के कारकों पर ध्यान दिया जा सकता है।

22. शहरी सहकारी बैंक अपनी संरचना और ग्राहकों के स्वभाव के अनुसार वित्तीय समावेशन को पूरा करने के लिए सुगठित किये गये हैं। सहकारी ढांचे का मूल आधार आपसी सहयोग और मितव्ययिता है। शहरी सहकारी बैंकों के विशिष्ट लक्षणों जैसे उनका संगठनात्मक ढांचा (सदस्य-संचालित), ग्राहक, मित्रवत पड़ोसी बैंक के रूप में आसान पहुंच और ख्याति पर विचार करते हुए, इन अत्यधिक स्थानीयकृत संस्थाओं के परिचालन क्षेत्र में व्यापक और गहन वित्तीय समावेशन की क्षमता है।

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किये गये उपाय

23. भारतीय रिज़र्व बैंक का यह प्रयास रहा है कि वह वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पाने के लिए अपनी विनियमित कंपनियों के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करे। इस संबंध में किये गये कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैः

नये उत्पादों की शुरुआत

i. **'नो फ्रिल' खातों को खोलनाः** *एक 'नो फ्रिल' खाता वह होता है जिसमें किसी न्यूनतम शेष पर जोर नहीं दिया जाता है और न्यूनतम शेष न बनाये रखने पर कोई सेवा प्रभार नहीं लिया जाता है।* इन खातों की शुरुआत 2005 में भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश के अनुसार की गयी है। बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे इन 'नो फ्रिल' खातों में छोटे-छोटे ओवर ड्राफ्ट प्रदान करें।

ii. **जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) / किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)**ः जनरल क्रेडिट कार्ड / किसान क्रेडिट कार्ड परिक्रामी स्वरूप का ऋण प्रदान करने में मदद करते हैं जो धारकों को स्वीकृत सीमा तक आहरण करने का अधिकार प्रदान करते हैं। यह सीमा जमानत अथवा प्रयोजन पर कोई जोर दिए बिना स्वीकृत की जाती है, यह सीमा किसी परिवार

के नकदी प्रवाहों के मूल्यांकन पर आधारित होती है। इस सुविधा पर ब्याज दर को पूरी तरह से विनियमित दिया गया है।

शिथिल विनियामी अपेक्षाएं

i. **अपने ग्राहक को जानों (केवाईसी) मानदंड पर शिथिल विनियामी व्यवस्था:** अगस्त 2005 में इस शर्त के साथ छोटे खातों पर केवाईसी अपेक्षाओं को शिथिल किया गया था कि किसी ऐसे खाता धारक द्वारा किया गया परिचय इन खातों को खोलने के लिए पर्याप्त होगा जो केवाईसी की प्रकिया पूरी कर चुका है अथवा बैंक अपनी संतुष्टि के अनुसार ग्राहक की पहचान और पते के संबंध में कोई साक्ष्य ले सकता है। वर्ष के दौरान इसे और शिथिल बनाया गया है जिसमें राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा के अंतर्गत जारी जॉब कार्ड अथवा वैध पहचान प्रमाण के लिए नाम, पता और आधार संख्या के ब्यौरों वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाणपत्र को शामिल किया गया है।।

ii. **आसान शाखा प्राधिकरण** : बैंकिंग नेटवर्क की पहुँच बढ़ाने के लिए, घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिपोर्टिंग के अधीन सामान्य अनुमति के अंतर्गत टीयर 2 से टीयर 6 के केन्द्रों (1,00,000 से कम जनसंख्या) में मुक्त रूप से शाखाएं खोलने की अनुमति दी गयी है। इसके अलावा, देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भी रिपोर्टिंग के अधीन प्रत्येक मामले में रिज़र्व बैंक की अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना उत्तर-पूर्व के राज्यों और सिक्किम के ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने की अनुमति दी गयी है।

iii. **कारोबार संपर्की - कारोबार सुसाध्यकर्ता**

जनवरी 2006 में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कारोबार सुसाध्यकर्ताओं और कारोबार संपर्कियों को काम पर लगाने की अनुमति दी। कारोबार संपर्की मॉडल बैंकों को ग्रामीण आबादी के बहुत करीब स्थानों पर घर-घर जाकर सेवाएं देने विशेष रूप से 'जमा - आहरण' लेन-देनों को करने की अनुमति प्रदान करता है, इससे ग्रामीण जनता की तात्कालिक समस्या का समाधान होता है। ऐसी पात्र व्यक्तियों / कंपनियों, की सूची को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है जिनको कारोबार संपर्की के रूप में काम पर लगाया जा सकता है। 'लाभ के उद्देश्य' से बनाई गई कंपनियों को भी कारोबार संपर्की के रूप में कार्य की करने की अनुमति दी गई है। सितंबर 2011 को बैंकों ने 75,316 कारोबारी संपर्कियों को काम पर लगाना सूचित किया है जिसमें 97,979 गांवों को कवर किया गया है।

iv. **बैंकरहित ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं को खोलना:** बैंकिंग तक पहुंच में और सुधार के लिए तथा सबसे महत्त्वपूर्ण वित्तीय समावेशन के लिए कारोबार संपर्कियों के अलावा, ईंटे-चूने की और अधिक शाखाओं को खोलने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, अप्रैल 2011 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में बैंकों को अनुमति दी गई कि वे वर्ष के दौरान खोली जाने वाली शाखाओं की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत बैंकरहित ग्रामीण केन्द्रों के लिए आबंटित करें।

v. **उत्तर-पूर्व क्षेत्र में शाखाओं को खोलने के लिए विशेष निपटान व्यवस्था -** उत्तर-पूर्व क्षेत्र के अब तक बैंकरहित स्थानों में बैंकों की पहुंच बेहतर बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने राज्यों सरकारों और बैंकों से पूछा है कि वे ऐसे केन्द्रों की पहचान करें जहां पर स्वयंपूर्ण शाखाएं खोलने अथवा विदेशी मुद्रा सेवाएं दिये जाने, सरकारी कारोबार करने अथवा नोटों की आवश्यकता पूरा करने की जरूरत है। इसके अंतर्गत पांच वर्ष तक पूंजी और चालू लागत के लिए निधि भी उपलब्ध करने का प्रस्ताव है बशर्ते संबंधित राज्य सरकार परिसर उपलब्ध कराने और समुचित सुरक्षा व्यवस्था करने की इच्छुक हो।

vi. **बैंकों के लिए वित्तीय समावेशन योजना**: एक सुदृढ़, योजनाबद्ध और सुनिर्मित वित्तीय समावेशन के हमारे प्रयासों के संदर्भ में, सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई है कि वे बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक तीन वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना प्रस्तुत करें। इस योजना में मोटे तौर पर खोली जाने वाली ईंटा-चूना की ग्रामीण शाखाओं, काम पर लगाए जाने वाले कारोबारी संपर्कियों, शाखाओं / कारोबार संपर्कियों / अन्य तरीकों के माध्यम से 2000 से ऊपर जनसंख्या वाले बैंकरहित गांवों और 2000 से कम जनसंख्या वाले अन्य बैंकरहित गांवों के कवरेज, बीसी/आईसीटी माध्यम के साथ-साथ खोले गए नो फ्रिल खातों, किसान क्रेडिट कार्ड और सामान्य क्रेडिट कार्ड तथा वित्तीय तौर पर वंचित वर्ग के लिए उनके द्वारा बनाए गए अन्य विशिष्ट उत्पादों के लक्ष्य को

शामिल किया गया है। बैंकों को सलाह दी गई कि वे अपनी कारोबार योजनाओं का बोर्ड अनुमोदित एफआईपी के साथ तालमेल बैठाएं और अपने स्टाफ के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के मानदंड के रूप में वित्तीय समावेशन को कसौटी बनाएं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन की रिज़र्व बैंक द्वारा बहुत नजदीकी से निगरानी की जा रही है।

vii. **शहरी सहकारी बैंकों के लिए विशिष्ट मानदंड:** शहरी सहकारी बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अपने वित्तीय समावेशन प्रयासों में तेजी लाएं। वित्तीय समावेशन प्रयास को और आगे बढ़ाने के लिए कई अन्य उपाय किए गए हैं जैसे गैर जमानती ऋण और अग्रिमों पर अधिकतम सीमा को बढ़ाना, वैयक्तिक आवास ऋणों के लिए अनुमत ऋण सीमा को संशोधित करना, शहरी सहकारी बैंकों के लिए परिचालन क्षेत्र को बढ़ाना, स्वयं सहायता समूह और जेएलजी को उधार देने की अनुमति देना तथा कारोबार संपर्कियों के प्रयोग को अनुमति देना।

शहरी सहकारी बैंकों की अदोहित क्षमता - वित्तीय समावेशन

25. आज शहरी सहकारी बैंकों के ग्राहक प्रोफाईल में प्रमुख रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंग शामिल हैं जैसे लघु कारोबारी स्थापनाएं, लघु उद्योग, खुदरा व्यापारी, स्व-नियोजित व्यक्ति आदि, ऐसे व्यक्ति सामान्य रूप से वाणिज्यिक बैंकों तक आसानी से पहुंच नहीं पाते हैं। आज शहरी सहकारी बैंकों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण 46 प्रतिशत है जबकि निर्धारित लक्ष्य 40 प्रतिशत का है। ऋण खातों का लगभग 90 प्रतिशत मूल्यानुसार ₹0.5 मिलियन से कम है। इस सीमा तक, शहरी सहकारी बैंक पहले ही वित्तीय समावेशन में योगदान कर रहे हैं। अभी एक विशाल गुप्त क्षमता का दोहन करना शेष है। शहरी सहकारी बैंकों की बड़ी संख्या और 271 जिलों में शहरी सहकारी बैंकों की कोई शाखा न होने को देखते हुए शहरी सहकारी बैंकों में अपने विस्तार और कारोबार को बढ़ाने की तथा वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय अभियान में शामिल होने की विशाल क्षमता मौजूद है। उनके आकार को देखते हुए यह बिल्कुल डेविड और गोलियथ जैसा संघर्ष लगता है क्योंकि शहरी सहकारी बैंकों को बैंकरहित क्षेत्र के हिस्से का लाभ उठाने की प्रतिस्पर्धा में बड़े-बड़े वाणिज्यिक बैंकों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, शहरी सहकारी बैंकों के पास सबसे पहले आगे बढ़ने का मौका है, यह स्थिति उनके विशाल ग्राहक आधार के अतिरिक्त है। शहरी सहकारी बैंकों को इसका लाभ उठाना चाहिए, अन्यथा उनके संभावित ग्राहक वाणिज्यिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कवर के अंतर्गत आ जाएंगे और शहरी सहकारी बैंकों को अच्छा कारोबारी अवसर गंवाना पड़ेगा। शुरू-शुरू में ऐसा लगता है कि 'सबसे निम्नतम' स्तर के लोगों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना संभव या व्यवहार्य नहीं होगा, लेकिन विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि बड़ी संख्या पर सापेक्षिक रूप से छोटे-छोटे मार्जिन लाभ की स्थिति बनाते हैं।

26. अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसे कई बैंकरहित और कम बैंक वाले जिले हैं जहां पर कारीगर, प्रवासी श्रमिक, छोटे व्यापारी और खुदरा विक्रेता आदि जैसे लोग रहते हैं जिन्हें औपचारिक वित्तीय क्षेत्र तक पहुँचने में कठिनाई होती है और वे विभिन्न अवसरों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। सामाजिक और आर्थिक धरातल पर यह बहुत अधिक वांछनीय है कि इस वर्ग के लोगों को बैंकिंग छत्र के नीचे लाया जाए, शहरी सहकारी बैंक इसके लिए निश्चित रूप से आगे आ सकते हैं। शहरी सहकारी बैंकों को शुरू-शुरू में आत्मसमर्थनकारी कारोबारी मॉडल बनाने चाहिए, दीर्घकाल में वे लाभकारी हो सकते हैं। उनको अपनी वित्तीय समावेशन योजना को अपनी वार्षिक कारोबार योजनाओं के साथ समन्वित करना चाहिए। शहरी सहकारी बैंकों को जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग तक अपनी सेवाओं को पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिए। यह भी ध्यान में रखना है कि प्रदान की गयी सेवाएं वहनीय लागत पर हों और इस संबंध में प्रौद्योगिकी को बड़ी भूमिका निभानी होगी। मोबाइल की व्यापक पहुंच के कारण मोबाइल बैंकिंग को वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के एक साधन के रूप में तलाश किये जाने की संभावना है। इसलिए सही और प्रभावी प्रौद्योगिकी अपनाना वित्तीय समावेशन प्रयासों की सफलता की कुंजी है।

निष्कर्ष

27. वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ समावेशी वृद्धि की वर्तमान नीति को बिना समग्र वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किये प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यद्यपि वित्तीय समावेशन के सार्वभौमीकरण के प्रयास पहले से ही किये जा रहे हैं, साथ ही इस प्रयास के साथ चलने वाली अनेक चुनौतियां हैं क्योंकि 0.48 मिलियन गांवों को अभी भी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। वंचित वर्ग के लिए वित्तीय समावेशन से निम्न स्तर के अनेक अवसर उत्पन्न होते हैं जैसे दूर-दराज गांवों में कारोबार संपर्की के रूप में कार्य करने के लिए सहभागियों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं आदि को जॉब। वित्तीय समावेशन उपायों से हुई विशाल आर्थिक वृद्धि तो बहुत बड़ी बात है। बैंकों को वित्तीय

समावेशन को एक लाभकारी कारोबारी मॉडल के रूप में देखने की आवश्यकता है, न की एक भार के रूप में। यह तभी संभव होगा जब बैंक वित्तीय समावेशन योजना के भाग के रूप में शामिल ग्राहकों को अधिकाधिक ऋण उत्पाद प्रस्तुत करने और प्रौद्योगिकी को उन्नत कर लेन-देन की लागत को कम करने का प्रयास करें। लब्बोलुआव यह है कि सभी हितधारियों को शामिल करके एक ऐसा उपयुक्त कारोबारी सुपुर्दगी मॉडल बनाया जाए जिससे वित्तीय समावेशन एक सच्चाई बन जाए।

28. वित्तीय शिक्षा के संबंध में यह महत्त्वपूर्ण होगा कि स्त्री शक्ति का उपयोग किया जाए। ठीक ही कहा जाता है कि स्त्री को शिक्षा देने से वह परिवार को शिक्षित करेगी, वित्तीय रूप से शिक्षित और समावेशन योजना में शामिल स्त्री परिवार के सभी सदस्यों को इस योजना में शामिल होने के लिए पथ प्रशस्त करेगी। स्त्रियों में सामान्य और वित्तीय साक्षरता काफी कम है, इस बात को ध्यान में रखते हुए स्त्रियों को लक्ष्य बनाकर वित्तीय साक्षरता के नवोन्मेषी कार्यक्रम बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इस संदर्भ में, गैर-सरकारी संगठनों के सफल प्रयोगों का अध्ययन लाभकारी होगा जैसे सेल्फ इम्प्लॉइड वोमिनस् एसोसिएशन (सेवा) जिसने स्व-नियोजित गरीब महिलाओं के लिए, साथ ही प्रशिक्षणकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय परामर्शदात्री प्रशिक्षण सेवा शुरू की है। यह पहचान करनी होगी कि कैसे इन एकबारगी सफलताओं को कम लागत पर और बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकता है।

29. वित्तीय समावेशन सशक्तीकरण के एक स्रोत के रूप में कार्य करेगा और लोगों को आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया में और अधिक प्रभावी तरीके से भाग लेने की अनुमति प्रदान करेगा। गरीब लोगों के लिए की गयी बैंकिंग अमीर लोगों की बैंकिंग में तब्दील हो सकती है। वित्तीय समावेशन गरीबों के लिए, बैंकों के लिए और राष्ट्र के लिए हितकारी होगा। शहरी सहकारी बैंकों का कर्तव्य है कि वे इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हों, बोधगम्य कमजोरियों को प्रेरणास्पद अवसरों में तब्दील करें और समावेशी वृद्धि को सुगम बनाएं। मैं कॉसमॉस बैंक के वित्तीय समावेशन के उनके प्रयासों को शुभ कामनाएं देता हूँ।

संदर्भः

1. चक्रवर्ती, के.सी.(2011), *'फाइनेंशियल इंक्लूशन - ए रोड इंडिया इंडिया नीड्स टु ट्रेवल'*, 22 अक्तूबर 2011 को www.livemint.com में प्रकाशित लेख।

2. रंगराजन. सी. (2008), *वित्तीय समावेशन पर बनी समिति की रिपोर्ट*।

3. *भारत में सूक्ष्म वित्त की स्थितिः 2010-11*, नाबार्ड।